रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082020-221171
CG-DL-E-17082020-221171

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 402] **नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2020/श्रावण 26, 1942**
No. 402] **NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2020/SHRAVANA 26, 1942**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 508(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (23चङ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (20 वें संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962,--

(i) नियम 2घक के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"2घख- पेंशन निधि द्वारा पूरा किए जाने के लिए अन्य शर्तें.—धारा 10 के खंड (23चङ) के प्रयोजन के लिए पेंशन निधि में निम्नलिखित अन्य शर्तों को पूरा करने के लिए अपेक्षा की जाएगी, अर्थात् :--

(i) यह किसी विदेशी निधि के अधीन, जिसके अंतर्गत ऐसी विधियां भी हैं, जो किसी प्रांत, राज्य या स्थानीय निकाय, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जिसके अधीन, यथास्थिति, यह सृजित या स्थापित है, उसके राजनैतिक घटकों के लिए बनाए गए हों ;

(ii) यह, यथास्थिति, ऐसी निधियों या योजनाओं के भागीदारों या हितग्राहियों से सेवानिवृत्त सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, नि:शक्तता, मरणोत्तर प्रसुविधाएं या अन्य समरूप प्रतिकर उपबंध करने के लिए स्थापित एक या अधिक निधियों या योजनाओं के कानूनी बाध्यताओं और परिभाषित अभिदायों को पूरा करने के लिए आस्तियों के प्रशासन या विनिधान के लिए उत्तरदायी है ;

(iii) पेंशन निधि के अर्जनों और आस्तियों का उपयोग केवल कानूनी बाध्यताओं को चुकाने के लिए और निधियों या खंड (ii) में निर्दिष्ट योजनाओं के सहभागियों या फायदाग्राहियों के परिभाषित अंशदायों को चुकाने के लिए किया जाता है तथा पेंशन निधि के अर्जनों या आस्तियों का कोई भाग किसी अन्य प्राइवेट व्यक्ति को कोई फायदा उपगत नहीं करेगा ;

(iv) वह भारत या भारत से बाहर कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप हाथ में नहीं लेगा ;

(v) वह भारत में तिमाही के दौरान किए गए विनिधानों के संबंध में ब्यौरों से तिमाही के अंत से एक मास के भीतर प्ररूप सं. 10खखख में संसूचित करेगा ;

(vi) वह धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व आय-कर की विवरणी फाइल करेगा तथा ऐसी विवरणी के साथ वित्त वर्ष के दौरान धारा 10 के खंड 23चङ के उपबंधों की अनुपालना के संबंध में धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल से प्ररूप सं. 10खखग में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

2घग. धारा 10 के खंड 23चङ के अधीन अधिसूचना के लिए दिशा-निर्देश.—(1) धारा 10 के खंड 23चङ के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (iv) के अधीन अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए पेंशन निधि प्ररूप सं. 10खखक में निम्नलिखित को एक आवेदन करेगी, उसके साथ निम्नलिखित के संबंध में सुसंगत दस्तावेज और साक्ष्य संलग्न करेगी,--

(i) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सदस्य (विधान), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ;

(ii) अन्य वित्त वर्षों के दौरान, विदेशी कर और कर अनुसंधान प्रभाग के कार्य का अधीक्षण और नियंत्रण रखने वाला सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

(2) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) प्ररूप सं. 10खखख और प्ररूप सं. 10खखग प्रस्तुत करने और सत्यापित करने के लिए डाटा स्ट्रकचर, मानक और प्रक्रिया अधिकथित करेगा तथा वह इस उपनियम के अधीन यथा प्रस्तुत उक्त प्रारूपों के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखी और पुन: प्राप्ति नीतियों की विरचना करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।";

(ii) परिशिष्ट 2 में प्ररूप सं. 10खख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"प्ररूप सं. 10खखक

[देखें नियम 2घगक, उपनियम (1)]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 23चङ के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (iv) के अधीन अधिसूचना के लिए आवेदन

(पेंशन निधि)

सेवा में,

सदस्य (विधान), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान आवेदन के लिए) **/ सदस्य (विदेशी कर और कर अनुसंधान प्रभाग पर नियंत्रण रखने वाला) (अन्य वित्त वर्ष के दौरान आवेदन के लिए) **

महोदया/महोदय,

आवेदक एक पेंशन निधि है और आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चङ) के निबंधनों में विनिधान करने का इच्छुक है, अत: इसलिए यह अनुरोध है कि आवश्यक अधिसूचना जारी की जाए, जिसके ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है :--

(क) पेंशन निधि का नाम

(ख) पेंशन निधि का पता

(ग) निवास के देश की कर पहचान संख्या

(घ) निवास का देश

(ङ) स्थायी लेखा संख्या (पैन)

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि,--

(क) .... (कृपया विदेश के नाम का वर्णन करें, जिसके अंतर्गत उसके किन्हीं राजनीतिक घटकों जैसे प्रदेश/राज्य/स्थानीय निकाय आदि सम्मिलित हैं) की विधि के अधीन सृजित या स्थापित और उस विधि के अधीन विनियमित पेंशन निधि ;

(ख) ऊपर (क) में वर्णित विदेश में कर से दायी नहीं है ;

(ग) पेंशन निधि कानूनी बाध्यताओं को चुकाने के लिए आस्तियों का प्रशासन करने और एक या अधिक निधियों या सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, नियोजन, नि:शक्तता, मृत्यु फायदों या इसी प्रकार के समान प्रतिकर का, यथास्थिति, ऐसी निधियों या योजनाओं के सहभागियों या फायदाग्राहियों को उपबंध करने के लिए परिभाषित अंशदायों के लिए उत्तरदायी होगा ;

(घ) पेंशन निधि के अर्जनों और आस्तियों का उपयोग केवल कानूनी बाध्यताओं और ऊपर (ग) में निर्दिष्ट निधियों या योजनाओं के सहभागियों या फायदाग्राहियों के लिए परिभाषित अंशदायों को चुकाने के लिए किया जाएगा तथा पेंशन निधि के अर्जनों या आस्तियों का कोई भाग किसी अन्य प्राइवेट व्यक्ति के लिए किसी फायदे के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा ; और

(ङ) पेंशन निधि वह भारत या भारत से बाहर कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप हाथ में नहीं लेता है ।

3. पूर्व किए गए दावों के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज उपाबद्ध हैं :

(क) पेंशन निधि का गठन करने वाले दस्तावेज और उनमें पश्चातवर्ती संशोधन, और

(ख) कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज या सूचना ।

सत्यापन*

मैं, ……………… पुत्र/पुत्री/पत्नी** श्री .... सत्यनिष्ठा से घोषित करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस आवेदन और उपाबंधों और दस्तावेजों, यदि कोई हों, जो इसके साथ हैं, में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा उसमें दी गई विशिष्टियों का सही कथन किया गया है ।

2. मैं, यह और घोषित करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार ; मैंने कोई तथ्य या सूचना को नहीं छिपाया है, जो इस आवेदन से सुसंगत हो सकती है ।

3. मैं, यह भी घोषित करता हूं कि मैं यह आवेदन .... की क्षमता (पदनाम) में कर रहा हूं और मेरा पैन/आधार** नंबर .... हैं तथा मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूं और मैं इसका सत्यापन करता हूं ।

तारीख .... को सत्यापित ।

स्थान ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

टिप्पण :- 1.** जो लागू न हो उसको काट दें ।

2. *आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अधीन आय-कर की विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं ।

प्ररूप सं. 10खखख*

[देखें नियम 2घख]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 23चङ के अधीन विनिधान करने के लिए पेंशन निधि द्वारा संसूचना

(वित्तीय वर्ष के 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही से एक मास के भीतर)

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

....

....

महोदया/महोदय,

वित्त वर्ष .... को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए .... के संबंध में (पेंशन निधि का नाम), जिसकी पैन संख्या .... है और जिसे आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 23चङ के अधीन अधिसूचना सं. .... तारीख .... (दिन/मास/वर्ष) द्वारा नीचे दिए अनुसार अधिसूचित किया गया है, के विनिधान के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करने वाला विवरण संलग्न है:

					उस अस्तित्व के ब्यौरे, जिसमें विनिधान किया गया है		
क्रम सं.	तारीख	रकम	प्रकृति [ऋण/ अंशदायी पूंजी (साम्या/ अधिमानी)/ यूनिट]	लाभांश की दर, यदि कोई हो (अधिमानी शेयर/यूनिट)/ ब्याज (ऋण)	कारबार न्यास/ कंपनी या उपक्रम या अस्तित्व/ वैकल्पिक विनिधान निधि	नाम	पैन
योग							

सत्यापन*

मैं, ……………… पुत्र/पुत्री/पत्नी** श्री .... सत्यनिष्ठा से घोषित करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस आवेदन और उपाबंधों और दस्तावेजों, यदि कोई हों, जो इसके साथ हैं, में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा उसमें दी गई विशिष्टियों का सही कथन किया गया है ।

2. मैं, यह और घोषित करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार ; मैंने कोई तथ्य या सूचना को नहीं छिपाया है, जो इस आवेदन से सुसंगत हो सकती है ।

3. मैं, यह भी घोषित करता हूं कि मैं यह आवेदन .... की क्षमता (पदनाम) में कर रहा हूं और मेरा पैन/आधार** नंबर .... हैं तथा मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूं और मैं इसका सत्यापन करता हूं ।

तारीख .... को सत्यापित ।

स्थान ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

टिप्पण :- 1. ** जो लागू न हो उसको काट दें ।

2. *आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अधीन आय-कर की विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं ।

प्ररूप सं. 10 खखग

[नियम घख 10 देखें]

अधिसूचित पेंशन निधि द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 23चङ के अधीन उपबंधों के अनुपालन के संबंध में लेखाकार का प्रमाणपत्र

मैं/हम* यह संपुष्ट करते है कि -------(पेंशन विधि का नाम), जिसकी पैन संख्या ---- है और जो अधिसूचना सं. ---- तारीख ------ (तारीख/मास/वर्ष) द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23 च ङ) अधीन --------- (तारीख/मास/वर्ष) से --------- तक (तारीख/मास/वर्ष) की अवधि के लिए अधिसूचित की गई है, के सुसंगत लेखों, दस्तावेजों और अभिलेखों का परीक्षण कर लिया है, और परीक्षण के पश्चात्, यह सत्यापित किया जाता है कि :

(i) (i) किए गए विनिधान का अथ शेष (अर्थात पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को अंत शेष) जो धारा 10 के खंड (23 च ङ) के अधीन ------ (रु.) छूट के लिए पात्र है और इस अवधि के दौरान पेंशन निधि द्वारा विनिधान के ब्यौरे निम्नानुसार है :

क्र. सं.	तारीख	रकम	प्रकृति [ऋण/शेयर पूंजी साम्या/अधिमानी]/यूनिट	लाभांश की दर, यदि कोई हो, (अधिमानी शेयर/ यूनिट)/ब्याज (ऋण)	उस अस्तिव के ब्यौरे जिसमें विनिधान किया गया		
					कारबार – कंपनी या उपक्रम या अस्तित्व/वैकल्पिक विनिधान विधि	नाम	पैन सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
योग							

(ii) उस तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पूर्व, जिसको उक्त छूट के संबंध में विनिधान किया गया था, आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23च ङ) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए गए किन्हीं विनिधानों को पेंशन निधि ने विक्रय नहीं किया है/उस तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पूर्व, जिसको उक्त छूट के संबंध में विनिधान किया गया था, आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23 च ङ) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए गए किन्हीं विनिधानों को पेंशन निधि ने विक्रय किया है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है :

क्र. सं.	तारीख	रकम	प्रकृति [ऋण/शेयर पूंजी साम्या/अधिमानी]/यूनिट	लाभांश की दर, यदि कोई हो, (अधिमानी शेयर/ यूनिट)/ब्याज (ऋण)	उस अस्तिव के ब्यौरे जिसमें विनिधान किया गया		
					कारबार – कंपनी या उपक्रम या अस्तित्व/वैकल्पिक विनिधान विधि	नाम	पैन सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							

योग							

(iii) पेंशन निधि, आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23च ङ) के अधीन छूट के प्रयोजन के लिए अपेक्षित सभी शर्तों को पूर्ण करती है, अर्थात :-

(क) इसका सृजन या गठन ------ की विधि के अधीन किया गया है (कृपया उस विदेशी देश का नाम वर्णित करें, जिसके अंतर्गत उसके कोई राजनैतिक हिस्से जैसे प्रांत/राज्य/स्थानीय निकाय आदि भी है, और इसका विनियमन उसे विधि के अधीन किया जाता है ;

(ख) यह ऐसे विदेशी देश में कर की दायी नहीं है ;

(ग) यह कानूनी बाध्यताओं और, यथास्थिती, ऐसी निधियों या योजनाओं के भागीदारों अथवा फायदाग्राहियों को सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, नियोजन, नि:शक्तता, मृत्यु लाभ या समान क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए गठित एक या अधिक निधियों या योजनाओं के परिभाषित अमिदायों को पूर्ण करने हेतु आस्तियों के प्रशासन या विनिधान के लिए उत्तरदायी है ;

(घ) इसकी आय और आस्तियां खंड (ii) में निर्दिष्ट निधियों या योजनाओं के भागीदारों अथवा फायदाग्रहियों की कानूनी बाध्यताओं तथा परिभाषित अभिदायों को पूर्ण करने के लिए उपयोग की जाती हैं तथा पेंशन निधि की आयों या आस्तियों का कोई भाग किसी अन्य निजी व्यक्ति को कोई फायदा लागू नहीं करता है ;

(ङ) यह कोई वाणिज्यिक क्रियाकलाप नहीं करती है चाहे भारत के भीतर हो या बाहर ; और

(च) इसने प्ररूप सं. 10 ख ख ख में भारत में इसके द्वारा किए गए विनिधान के ब्यौरों को सूचित करने की अपेक्षा का अनुपालन किया है ।

सत्यापन†

यह सुनिश्चित किया गया है कि दी गई जानकारी सभी प्रकार से सत्य और सही है तथा किसी सुसंगत जानकारी को छिपाया या रोका नहीं गया है ।

2. ना तो मैं ना ही मेरा कोई भागीदार ऊपर वर्णित अस्तित्वों या उसके सहबद्ध उपक्रमों के निदेशक, भागीदार या कर्मचारी नहीं हैं ।

3. मैं/हम* पूर्णत: यह समझते हैं कि इस प्रमाणपत्र में किया गया कोई कथन, यदि असत्य या मिथ्या पाया जाता है, तो विधि में विहित या अन्यथा अपेक्षित किसी दाण्डिक या अन्य परिणामों के लिए मुझे / हमें* दायी माना जाएगा।

आज तारीख -------- को सत्यापित

स्थान ------

(हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और स्टांप/सील)

†लेखाकार ----

हस्ताक्षरकर्ता का नाम-----

सदस्यता सं. ----

पूर्ण पता --------

टिप्पण : 1. जो लागू न हो उसे काट दें ।

2. †यह प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखाकार द्वारा दिया जाना है ।"

[अधिसूचना सं. 67/2020/फा. सं. 370142/28/2020-टी पी एल]

नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का. आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 499(अ) तारीख 10 अगस्त, 2020 द्वारा उनमें अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2020

INCOME-TAX

G.S.R. 508(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (c) of *Explanation* to the clause (23FE) of section 10 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Income-tax (20th Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962,-

(i) after rule 2DA, the following rules shall be inserted, namely: -

"2DB. Other conditions to be satisfied by the pension fund. - For the purposes of clause (23FE) of section 10, the pension fund shall be required to satisfy the following other conditions, namely: -

(i) it is regulated under the law of a foreign country including the laws made by any of its political constituents being a province, state or local body, by whatever name called, under which it is created or established, as the case may be;

(ii) it is responsible for administering or investing the assets for meeting the statutory obligations and defined contributions of one or more funds or plans established for providing retirement, social security, employment, disability, death benefits or any similar compensation to the participants or beneficiaries of such funds or plans, as the case may be;

(iii) the earnings and assets of the pension fund are used only for meeting statutory obligations and defined contributions for participants or beneficiaries of funds or plans referred to in clause (ii) and no portion of the earnings or assets of the pension fund inures any benefit to any other private person;

(iv) it does not undertake any commercial activity whether within or outside India;

(v) it shall intimate the details in respect of each investment made by it in India during the quarter within one month from the end of the quarter in Form No. 10BBB;

(vi) it shall file return of income on or before the due date specified under sub-section (1) of section 139 and furnish along with such return a certificate in Form No. 10BBC in respect of compliance to the provisions of clause (23FE) of section 10, during the financial year, from an accountant as defined in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288.

2DC. Guidelines for notification under clause (23FE) of section 10.- (1) For the purposes of notification under sub-clause (iv) of clause (c) of *Explanation* to the clause (23FE) of section 10, the pension fund shall make an application in Form No. 10BBA enclosing therewith relevant documents and evidence, to the,-

(i) Member (Legislation), Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, North Block, New Delhi during the financial year 2020-2021;

(ii) Member, Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, North Block, New Delhi having supervision and control over the work of Foreign Tax and Tax Research Division during the other financial years.

(2) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down the data structure, standards and procedure of furnishing and verification of Form No 10BBB and Form No 10BBC, and shall be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said forms so furnished under this sub-rule.";

(ii) in Appendix-II, after Form No. 10BB, the following forms shall be inserted, namely: -

"Form No. 10BBA

[See sub-rule (1) of rule 2DC]

Application for notification under sub-clause (iv) of clause (c) of *Explanation* to the clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961

(Pension Fund)

To,

The Member (Legislation), CBDT (For application during Financial Year 2020-2021)**/

The Member (Having control over the Foreign Tax and Tax Research Division) (For application during other financial year)**

Madam/ Sir,

The applicant is a Pension Fund and interested in making investment in terms of clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 and therefore, it is requested that necessary notification may kindly be issued, the details for which are as under:

(a) Name of the Pension Fund :

(b) Address of the Pension Fund :

(c) Tax Identification Number of the country of residence :

(d) Country of residence :

(e) Permanent Account Number (PAN) :

2.. It is hereby certified that-

(a) the Pension Fund is created or established under the law of _____________ (please mention the name of the foreign country including any of its political constituents like province/ state/ local body etc) and is regulated under that law;

(b) is not liable to tax in the foreign country mentioned at (a) above;

(c) the Pension Fund is responsible for administering or investing the assets for meeting the statutorily obligations and defined contributions of one or more funds or plans established for providing retirement, social security, employment, disability, death benefits or any similar compensation to the participants or beneficiaries of such funds or plans, as the case may be;

(d) the earnings and assets of the pension fund are used only for meeting statutory obligations and defined contributions for participants or beneficiaries of funds or plans referred to in (c) above and no portion of the earnings or assets of the pension fund inures any benefit to any other private person; and

(e) the pension fund does not undertake any commercial activity whether within or outside India.

3. In support of the claims made above, the following documents are attached:

(a) documents constituting the Pension Fund and any later amendment thereto, and

(b) any other relevant document or information.

Verification*

I, ___________________________, son/ daughter/ wife** of Shri ______________________, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in this application and the annexures and documents, if any, accompanying it are correct and complete and particulars shown therein are truly stated.

2. I further declare that to the best of my knowledge; I have not concealed any fact or information which could be relevant for this application.

3. I also declare that I am making this application in my capacity as __________ (designation) and that I am holding PAN/ Aadhaar** _____ and I am competent to make this application and verify it.

Verified today the ___________ day of ______________

Place __________

(Signature) ________________

Name ________________

Notes: 1. **Delete whichever is not applicable.

2. *To be signed by the person competent to verify the return of income under section 140 of the Income-tax Act, 1961.

Form No 10BBB*

[See rule 2DB]

Intimation by Pension Fund of investment under clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961

(within one month from the end of the quarter ending on 30th June, 30th September, 31st December and 31st March of the financial year)

To,

The Assessing Officer

____

____

Madam/ Sir,

Kindly find statement containing details of investment for the quarter ending ________ of the Financial Year _________ in respect of ___________________________ (Name of the Pension Fund) having PAN __________ and notified under clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 *vide* notification no_____________, dated _____________ (DDMMYYYY) as under:

Sl. No.	Date	Amount	Nature [Debt/ Share Capital (Equity/ Preference)/ Unit]	Rate of Dividend, if any, (Preference Share/ Unit)/ Interest (Debt)	Details of the entity in which Investment made		
					Business Trust/ Company or enterprise or entity/ Alternative Investment Fund	Name	PAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
Total							

Verification*

I, ___________________________, son/ daughter/ wife** of Shri ______________________, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given above is correct and complete and particulars shown therein are truly stated.

2. I further declare that to the best of my knowledge; I have not concealed any relevant fact or information.

3. I also declare that I am making this application in my capacity as __________ (designation) and that I am holding PAN/ Aadhaar** _____ and I am competent to make this application and verify it.

Verified today the ___________ day of ______________

Place __________

(Signature) ________________

Name ________________

Notes: 1. **Delete whichever is not applicable.

2. *To be signed by the person competent to verify the return of income under section 140 of the Income-tax Act, 1961.

Form No 10BBC

[See rule 2DB]

Certificate of accountant in respect of compliance to the provisions of clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 by the notified Pension Fund

I/ We* hereby confirm that I/ we* have examined the relevant accounts, documents and records of ______________________________________(name of the Pension Fund) having PAN ________________________ and which has been notified under clause (23FE) of section 10 *vide* notification no___________dated________(DDMMYYYY), for the period from _________(DDMMYYYY) to ____________(DDMMYYYY) and after examination, it is hereby certified that:

(i) the opening balance (i.e. the closing balance as on the last date of the preceding financial year) of the investment made which is eligible for exemption under clause (23FE) of section 10 is ______________(in rupees) and details of the investment by the Pension Fund during the period are as under:

Sl. No.	Date	Amount	Nature [Debt/ Share Capital (Equity/ Preference)/ Unit]	Rate of Dividend, if any, (Preference Share/ Unit)/ Interest (Debt)	Details of the entity in which Investment made		
					Business Trust/ Company or enterprise or entity/ Alternative Investment Fund	Name	PAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
Total							

(ii) *the pension fund has not sold any of the investments made for the purposes of exemption under clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 before the expiry of three years from the date on which the investment was made in respect of the said exemption/the pension fund has sold certain investments made for the purposes of exemption under clause (23FE) of section 10 of

the Income-tax Act, 1961 before the expiry of three years from the date on which the investment was made in respect of the said exemption, the details of which are as under:

Sl. No.	Date of investment	Amount	Nature [Debt/ Share Capital (Equity/ Preference)/ Unit]	Rate of Dividend, if any, (Preference Share/ Unit)/ Interest (Debt)	Details of the entity in which Investment made			Date of sale
					Business Trust/ Company or enterprise or entity/ Alternative Investment Fund	Name	PAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
Total								

(iii) the Pension Fund satisfies all the conditions required for the purposes of exemption under clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961, that is, -

(a) it is created or established under the law of _____________ (please mention the name of the foreign country including any of its political constituents like province/ state/ local body etc) and is regulated under that law;

(b) it is not liable to tax in such foreign country;

(c) it is responsible for administering or investing the assets for meeting the statutorily obligations and defined contributions of one or more funds or plans established for providing retirement, social security, employment, disability, death benefits or any similar compensation to the participants or beneficiaries of such funds or plans, as the case may be;

(d) its earnings and assets are used only for meeting statutory obligations and defined contributions for participants or beneficiaries of funds or plans referred to in at clause (ii) and no portion of the earnings or assets of the pension fund inures any benefit to any other private person;

(e) it does not undertake any commercial activity whether within or outside India; and

(f) it has complied with the requirement of intimation of the details of investment made by it in India in Form No 10BBB.

Verification†

It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respects and no relevant information has been concealed or withheld.

2. Neither I, nor any of my partners, is a director, partner or an employee of the above-mentioned entities or its associated concerns.

3. I/ we* fully understand that any statement made in this certificate, if proved incorrect or false, will render me/us* liable for any penal or other consequences as may be prescribed in law or is otherwise warranted.

Verified today the ___________ day of ______________

Place __________

(Signature and Stamp/ Seal of the Signatory)

†Accountant____________________

Name of the Signatory___________________

Membership No.__________________

Full Address __________________

Notes: 1. *Delete whichever is not applicable.

2. †This certificate is to be given by an accountant as defined in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961.".

[Notification No. 67/2020/ F. No. 370142/28/2020-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. No. 499(E) dated the 10th August, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.17 21:44:02 +05'30'